राजस्थान सरकार
समाज कल्याण विभाग

क्रमांक प011(125)आरएण्डपी।सकवि।86895-931 जयपुर, दिनांक 8-11-94

समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिला कलक्टर

<u>परिपत्र</u>

विषय:- राजस्थान राज्य में अधिसूचित पिछड़े वर्गों में गैर हिन्दू वर्गों
के व्यक्तियों को प्रमाण पत्र दिये जाने के संबन्ध में।

राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम प्रतिवेदन, 1994 के आधार पर
समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ11(125)आरएण्डपी।सकवि।52307
दिनांक 6 अगस्त, 1994, जो राजस्थान राजपत्र के विशेषांक भाग 1(ख) दिनांक
8 अगस्त, 1994 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राज्य में सभी प्रयोजनार्थ पिछड़े वर्गों
की सूची जारी की गई है। हिन्दु पिछड़े वर्गों के समान ही पैतृक व्यवसाय वाले
गैर हिन्दू वर्गों की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण के लिये राज्य सरकार को कई
ज्ञापन प्राप्त हुए हैं।

अतः इस बिन्दु का परीक्षण कर निर्देशानुसार स्पष्ट किया जाता है कि
ऐसे गैर हिन्दू व्यवसायिक जातियों को, जो अपने पुश्तैनी। पैतृक व्यवसाय के नाम
से जानी जाती है और जिनके हिन्दू प्रतिरूप पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित
कर लिये हैं व जिनके हिन्दू और गैर हिन्दू पैतृक व्यवसायिक नाम समान है, को
भी पिछड़े वर्गों में ही माना जायेगा।

किसी भी व्यक्ति को पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र देने से पहले इस बात
की जांच की जानी चाहिये कि उसका व्यवसायिक पैतृक नाम रेखांकित हिन्दू पिछड़े
वर्ग के समान ही है और इसी रूप में सामान्यतया संबोधित किया जाता है।

(आर०सी० रूंगटा)
शासन उप सचिव

क्रमांक एफ11(125)आरएण्डपी।सकवि।86932-87031 जयपुर, दिनांक 8-11-94

प्रतिलिपि :-

1- मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2- समस्त प्रमुख शासन सचिव।शासन सचिव।
3- सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4- सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5- संयुक्त सचिव, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6- सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
7- पंजियक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
8- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
9- सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जयपुर।
10- निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण।
11- अतिरिक्त पंजियक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच जयपुर।

---2

12- समस्त जिलाध्यक्ष
13- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, राजस्थान, जयपुर ।
14- समस्त पुलिस अधीक्षक ।
15- समस्त संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण विभाग ।
16- समस्त सहायक निदेशक । जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी ।
17- गार्ड फाईल ।

शासन उप सचिव